संख्या:106/2019/4206जेएल/22-3-19-100(120)/2019

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रताप पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 16 दिसम्बर, 2019***

विषय: जिला कारागार रायबरेली में निरूद्ध 03 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-35794/सामा-1(3)/जि0का0रायबरेली/2019, दिनांक 12-12-2019 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार रायबरेली में निरूद्ध निम्नलिखित 03 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	विचाराधीन बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	रामप्रताप यादव उर्फ आर0पी0 यादव पुत्र स्व0 गरीब यादव	जि0का0 रायबरेली	जि0का0 बरेली
2	सुरेश यादव पुत्र भारतलाल यादव	जि0का0 रायबरेली	जि0का0 शाहजहांपुर
3	अर्कित यादव उर्फ सोनू यादव पुत्र सुरेश यादव	जि0का0 रायबरेली	जि0का0 हरदोई

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रताप पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या:106/2019/4206जेएल(1)/22-3-19-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली/बरेली/शाहजहांपुर/हरदोई।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायबरेली/बरेली/शाहजहांपुर/हरदोई।
5. अधीक्षक, जिला कारागार रायबरेली/बरेली/शाहजहांपुर/हरदोई।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र प्रताप पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in